

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
कार्यालय-उपजिलाधिकारी, तहसील विकासनगर, देहरादून।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : 6923 / वाद सं० सी-0130/एस-सहसपुर/2023

दिनांक: 18/11/2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री बसीम एवं ओम प्रकाश आदि, शंकरपुर, सहसपुर, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग हेतु सड़क के लिए आर०बी०एम० डाला गया है अनाधिकृत निर्माण करने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0130/एस-सहसपुर/2023 योजित किया गया था। उक्त चालानशुदा/अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 30/11/23 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी०अधि०/उपजिलाधिकारी,
कार्यालय-उपजिलाधिकारी,
तहसील विकासनगर, देहरादून

- प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जे०सी०बी० एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. विपक्षी श्री बसीम एवं ओम प्रकाश आदि, शंकरपुर, सहसपुर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त चालानशुदा निर्माण/अनाधिकृत प्लॉटिंग को उपरोक्त तिथि को ध्वस्त किया जाना है। अतः नियत तिथि पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना समस्त समान हटा लें। शेष नियम व शर्तें कार्यालय पत्रांक 640 दिनांक 16.05.2023 की शर्तें यथावत रहेगी। तदनुसार सूचित हों।



पी०अधि०/उपजिलाधिकारी,
कार्यालय-उपजिलाधिकारी,
तहसील विकासनगर, देहरादून